

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) शाहपुरा जिला-जयपुर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

"खाता आपके द्वार-2016"

167
30-6-22

85
2022

आदेश

राजस्थान उपखण्ड न्यायालय जयपुर-21
कोलाकास कैम्प

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व भू.अ.नि.

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार

की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1958 की धारा

136 के अनुसरण में ग्राम तहसील व जिला

की जमाबन्दी सम्वत् 2014-17 में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज

प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	सर्देकावास्त	19	मधु गुजर उर्फ मधु गुजर उमरचन्द	मधु गुजर उर्फ मधु गुजर उमरचन्द श्री राज भुवनि जमाबन्दी प्रमाण रिकार्ड

पीठासीन अधिकारी
शाहपुरा लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर,
शाहपुरा (जयपुर)

दिनांक :- 30-6-22

क्रमांक :- 170-171

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार शाहपुरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री मधु गुजर उर्फ मधु गुजर उमरचन्द को सूचनाार्थ ।
3. रक्षित पत्रावली ।

30/6

पीठासीन अधिकारी
शाहपुरा लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर,
शाहपुरा (जयपुर)